कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-89/2017-18/

दिनांक : /02/2018

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,

जनपद- पौड़ी गढ़वाल

विषय : जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 01/2016 से नवंबर 10/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 04 प्रस्तर तथा STAN मे 02 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-89/2017-18/ दिनांक: /02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 89 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यालय जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के माह मई 2015 से नवंबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एल.एस.लिंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री के.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 3.11.2017 से 16.11.2017 तक श्री आर.के.जोशी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवंम श्री महेशचन्द पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 01.02.2016 से 11/2/2016 तक श्री आई.के.जुयाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2013 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :

4. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :

5. कर्मचारियों की संख्या :

6. पंचायतराज की संपतियाँ:

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :

8. योजनाओं की संख्या :

9. (अ) सामाजिक संरक्षा :

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभार्थियों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य : आय-व्यय विवरण के अनुसार

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया

विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि रु. लाख में)

	प्रारम्भिक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
वर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य	अवशेष	आधिक्य	अवशेष
2014-15	0.00	1396.304	110.290	110.40	5785.376	5360.077	0.00	0.00	0.00	1821.603
2015-16	0.00	1821.603	208.588	208.588	7599.55	8030.648	0.00	0.00	0.00	1388.505
2016-17	0.00	1388.505	156.384	156.384	9183.726	9627.607	0.00	0.00	0.00	944.624

आडिट हेत वित्तीय वर्ष 2015–16 की योजना वार विवरण

क्र0	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	वर्ष मे प्राप्त	अन्य प्राप्तियां	योग	व्यय	SEGF को हस्तान्तरण	अन्तिम अवशेष
1	एकल पेयजल योजना	9.700	7.246	0.000	16.946	10.526	0.000	6.420
2	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.0500	2.6650	0.0000	2.7150	2.5600	0.0000	0.155
3	दीन दयाल आवास योजना	30.629	34.790	0	65.4190	31.836	0	33.583
4	जिला योजना	0.00	120.00		120.00	120.00		0.00
5	विधायक निधि	1758.796	824.931	0	2583.727	1240.38	0	1343.347
6	महात्मागांधी नरेगा	22.428	6450.55	157.368	6630.346	6451.38	173.966	5.00
	योग:–	**1821.603**	**7440.182**	**157.368**	**9419.153**	**7856.682**	**173.966**	**1388.505**

आडिट हेत वित्तीय वर्ष 2014–15 की योजना वार विवरण

क्र0	मद का नाम	पूर्व का अवशष	वर्ष मे प्राप्त	अन्य प्राप्तियां	योग	व्यय	SEGF को हस्तान्तरण	अन्तिम अवशेष
1	एकल पेयजल योजना	8.486	12.459	0.000	20.945	11.245	0.000	9.700
2	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.050	0.000	0.000	0.050			0.050
3	दीन दयाल आवास योजना	17.708	38.496	0.000	56.204	25.575		30.629
4	जिला योजना	0.000	300.000	0.000	300.000	300.000		0.000
5	विधायक निधि	1343.513	1683.991	0.000	3027.504	1268.708	0.000	1758.796
6	महात्मागांधी नरेगा	26.547	3638.500	111.930	3776.977	3754.549	0.000	22.428
	योग :–	1396.304	5673.446	111.930	7181.680	5360.077	0.000	1821.603

आडिट हेत वित्तीय वर्ष 2016–17 की योजना वार विवरण

क्र0	मद का नाम	पूर्व का अवशष	वर्ष मे प्राप्त	अन्य प्राप्तियां	योग	व्यय	SEGF को हस्तान्तरण	अन्तिम अवशेष
1	एकल पेयजल योजना	6.420	16.697	0.000	23.117	19.169	0.000	3.948
2	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.155	2.695	0.000	2.850	2.640	0.000	0.210
3	दीन दयाल आवास योजना	33.583	1.053	0.000	34.636	27.068	0.000	7.568
4	जिला योजना	0.000	195.000	0.000	195.000	195.000	0.000	0.000
5	विधायक निधि	1343.347	824.931	0.000	2168.278	1240.380	0.000	927.898
6	महात्मागांधी नरेगा	5.000	8138.500	4.850	8148.350	8143.350	0.000	5.000
	योगः–	1388.505	9178.876	4.850	10572.231	9627.607	0.000	944.624

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 रु. 14.51 लाख ब्याज प्राप्ति को राजकोष में जमा न करना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश क्रमांक-347 दिनांक 17.01.2013 के क्रम में प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुनः चार मई-2017 दो अप्रैल 2017 एवं पत्रांक 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के माध्यम से पुनः निर्देश जारी किए गए है कि सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल सम्बन्धित योजना में उपभोग करने के ब्याज विभिन्न बैंको अथवा सावधि जमा (Fixed Deposit) के रुप में रखा गया है ओर उस पर ब्याज अर्जित होता है प्राप्त ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में मुख्य शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए।

जिला विकास अधिकारी कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा तिथि (10-11-2017) तक इकाई के अभिलेखों में रु. 14,50,653/- ब्याज के रुप में असमायोजित पड़े हुए है।

लेखा परीक्षा में इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई का उत्तर था कि स्पष्ट शासनादेशों के अभाव में ब्याज की धनराशि जमा नहीं कि जा सकी, ब्याज की राशि को अतिशीघ्र जमा की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।

अतः रु. 14.51 लाख ब्याज प्राप्त को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2(अ)- रु. 594.85 लाख के स्वीकृत कार्यों का लम्बी अवधि के बाद भी अपूर्ण रहना।

शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को कार्य स्वीकृत करते समय प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित रहती है जिसका कार्यदायी संस्था को हर संभव पालन करना आवश्यक हैं।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान जिला योजना से संबंधित निर्माण कार्यो की स्वीकृति एवं प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य स्वीकृत (17) कार्यों मे से निम्नलिखित 07 कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हो पाये हैं जबकि इन कार्यों पर रु. 289.07 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(रु. लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	विकास खण्ड/स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1	आवासीय भवन टाईप-3 सं. 2	कल्जीखाल (2016-17)	40=00	30=00	30=00
2	आवासीय भवन टाईप-3 सं. 2	यमकेश्वर (2015-16)	34=00	22=00	20=00
3	कार्यालय भवन/वी.डी.सी. हाल का अवशेष कार्य	कल्जीखाल (2016-17)	182=94	155=07	155.07
4	कार्यालय भवन नव निर्माण	नैनीडांडा (2016-17)	136=29	50=00	50=00
5	कार्यालय भवन नव निर्माण	जयहरीखाल (2016-17)	137.25	10=00	10=00
6	आवासीय भवन टाईप-4 सं. 01	जयहरीखाल (2016-17)	29.00	12=00	12=00
7	आवासीय भवन टाईप-2 सं. 2	यमकेश्वर (2015-16)	35.37	12=00	12=00

	योग		594=**85**	**289=07**	**289.07**

लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि शासन से पूर्ण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्यों की प्रगति धीमी है शासन से धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा दिये जायेगे एक अन्य प्रश्न कि कार्यों को कब तक पूर्ण होना था के संबंध मे इकाई का कहना था कि कार्यादेशों का निर्गमन कार्यदायी संस्था ग्रामीण-निर्माण विभाग (R.W.D) पौड़ी/कोटद्वार द्वारा किया जाता है स्पष्ट कार्य पूर्ण की तिथि का उल्लेख इकाई द्वारा नहीं किया गया हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों को यदि निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं किया जाता हैं तो कार्य की लागत बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रहती है जिसके लिए कार्यदायी संस्था को पुनः संशोधित स्टीमेट पारित कराना आवश्यक है ऐसा न करके की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता से समझौता नही किया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2(ब)- विधायक निधि के तहत प्रारम्भ किये गये रु. 1642.33 लाख की धनराशि के कार्य अपूर्ण रहना एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र न किया जाना।

विधायक निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों जैसे सड़क, विधुत पेयजल स्वास्थय आदि क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की गयी जरुरतों पर आधारित एवम् टिकाऊ सामुदायिक परि सम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में विधायक निधि के अन्तर्गत जिन कार्यों का सम्पादन किया जाना था उसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	विधायक का नाम	कुल कार्य	अपूर्ण कार्य	स्वीकृत धन.	व्यय की गयी धनराशि
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	252	100	272.43	229.027
2	श्रीमति विजया बड़थ्वाल	202	47	274.47	244.392
3	श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल	169	24	273.28	253.582
4	श्री गणेश गोडियाल	228	70	272.91	236.294
5	श्री तिरथ सिंह रावत	173	48	274.48	244.192
6	श्री दिलीप सिंह	185	25	274.52	254.048
	योग	1209	314	1642.33	1233.08

उपर्युक्त कार्यो से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल स्वीकृत 1209 कार्यों मे 314 कार्य अपूर्ण है। इन अपूर्ण कार्यो मे से 28 कार्य ऐसे है जिन्हे अभी तक प्रारम्भ हो नही किया गया है जबकि इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जा चुकी है, अपूर्ण/अनारम्भ कार्यों के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि 289 कार्य प्रगति पर है तथा 28 कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नही किये है उन्हे आरम्भ कर जल्दी पूर्ण कर दिया जायेगा। आगे उत्तर मे बताया गया कि कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत करने के पश्चात माननीय विधायक द्वारा कार्यों में संशोधन किया गया शीघ्र कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्य दायी संस्थाओं को नोटिस जारी किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि सामान्यतः एक से छः माह तक होती है परन्तु इकाई द्वारा उक्त कार्य लम्बी अवधि से पूर्ण नही किये गये है कुल कार्यो मे से जो 28 कार्य ऐसे है जिनको अभी प्रारम्भ ही नही किये है उनके सापेक्ष भी कार्यालय जिला विकास अधिकारी द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है परिणाम स्वरुप कुछ धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्व है जो धनराशि निर्गत की गयी है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्त हैं।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 03- सामुदायिक विकास योजना के तहत स्वीकृत आवासीय भवन का निर्माण न किया जाना एवम् रु. 10.24 लाख की धनराशि अवरुद्व रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका का भाग (vi) के अनुसार किसी भी कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण ऐजेन्सी को तब तक धनराशि अवमुक्त नही की जानी चाहिए जब तक विवाद रहित कार्य स्थल का चयन नही किया जाता हैं।

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 मे विकास खण्ड पोखड़ा मे आवासीय भवन टाईप-4 संख्या 01 के निर्माण हेतु रु. 24.27 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसके निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार को निर्माण ऐजेन्सी बनाया गया। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष इतनी ही धनराशि का आगणन वर्ष 2013 में स्वीकृत किया गया। कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण ऐजेन्सी को दिनांक 13.05.2015 एवम् 28.8.2013 को क्रमशः रु. 6,00,000 एवम् रु. 18,24,000/- की धनराशइ निर्गत की गयी थी।

उपर्युक्त कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि न तो अभी तक कार्य प्रारम्भ हुआ है और न ही अवमुक्त धनराशि को निर्माण विभाग द्वारा वापस किया गया है। विभाग द्वारा निर्माण ऐजेन्सी को कार्य स्थल उपलब्ध नही कराया गया था जिस दूसरे स्थान को आवासीय भवन के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया था उस स्थान पर पुराना भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है जिसके धवस्थीकरण की अनुमति शासन से सितम्बर 2017 में प्राप्त हुई है। आगे जाँच मे पाया गया कि अवमुक्त रु. 24.27 लाख में से निर्माण ऐजेन्सी ने रु. 14.00 लाख विकास खण्ड जयहरिखाल एवम् विकास खण्ड यमकेश्वर को परिवर्तित का व्यय किये गये तथा रु. 10.24 लाख थी धनराशि निर्माण ऐजेन्सी के पास लम्बी अवधि से अवरुद्व है। उपर्युक्त के सम्बंध मे लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि शासन से पुराने भवन के धवस्तीकरण की अनुमति न मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका वर्तमान मे धवस्तीकरण की अनुमति शासन से प्राप्त हो गयी है। शासन के आदेशानुसार निर्माण ऐजेन्सी को धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य स्थल उपलब्ध होने पर ही आगणन गठित किया जाना चाहिए था। इकाई द्वारा कार्य स्थल के चयन बीना निर्माण ऐजेन्सी को धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आगणन मे पुराने भवन के धवस्तीकरण की लागत का कोई उल्लेख नही है। वर्तमान दरो पर कार्य किये जाने से लागत मे वृद्धि की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता हैं।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 04- नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योना का क्रियान्वयन न किया जाना।

शासनादेश सं. 21/xxvvi(7)अ.पे.यो./2015 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रुप से लागू होगी जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाये।

इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 02 कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना की कटौती समय पर नही की गई हैं।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अंशदान कटौती का माह	विलम्ब की अवधि
1	श्री निखिल कठैत	कनिष्ठ सहायक	31.03.2012	दिसम्बर, 2012	8 माह
2	श्रीमती लक्ष्मी पंवार	अनुसेवक	31.12.2005	सितम्बर 2006	9 माह

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संबन्धित कर्मचारियो नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन समय से नहीं किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकडों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जायेगा, तत्पश्चात आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना के संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रियान्वयन समय से नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हुई है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 शासनादेशों के अनुरुप पी.एल.ए. खातों का रख रखाव न किया जाना।

सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-121/XX VII (14)/2013 दिनांक 13 जुलाई 2013 एवं मुख्य कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 147 दिनांक 10 मई 2016 से स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गई हो यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद कर उस खाते की अवशेष धनराशि को विभागीय पी.एल.ए. खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए।

इकाई के लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कोई पी.एल.ए. खाता नहीं खोला गया है एवं इकाई के अधीनस्थ कार्यालयों/विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा भी समस्त लेन-देन बैंक खातों के माध्यम से ही किए जा रहे है।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि इकाई द्वारा भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संचलित P.L.A खाता द्वारा ही कार्यालय की समस्त योजनाओं का संचालन किया जाता है जबकि विकास खण्ड कार्यालयों के P.L.A खाते के संबंध में इकाई का कहना था कि विकास खण्ड कार्यालयों द्वारा पूर्व में खोले गए पी.एल.ए. खातों का नवीनीकरण नहीं किया गया है इस संबंध में समस्त विकास खण्ड अधिकारियों को P.L.A खातों के नवीनीकरण हेतु निर्देशित किया गया हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त (संदर्भित) आदेशों/पत्रों से स्पष्ट है कि योजनाओं से संबंधित लेनदेनों को शासकीय पी.एल.ए. खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

अतः पी.एल.ए. खातों के संबंध में शासनादेशों का पालन न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

STAN

प्रस्तर-**2** दीन दयाल आवास योजना के सात लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित रखना।

दीन दयाल आवास योजना, सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है,

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में विभिन्न विकास खण्डों के चयनित परिवारों हेतु (45) आवास उपलब्ध कराने हेतु रु. 33,75000/- स्वीकृत किए थे।

आगे लेखा-परीक्षा में देखा गया कि इन 45 लाभार्थियों/परिवारों में से लेखा-परीक्षा तिथि (नवम्बर-2017) तक मात्र 38 लाभार्थियों द्वारा आवास पूर्ण कराए गए थे एवं उन्हें स्वीकृत पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका था जबकि 07 लाभार्थियों को आंशिक भुगतान ही किया गया था (एक को रु. 18750/- मात्र एवं अन्य 06 को प्रत्येक को रु. 63750/-) इससे प्रतीत हो रहा है कि उक्त लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

लेखा परीक्षा में इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकडो एंव तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपूर्ण कार्यों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी किन्तु एक लाभार्थी श्रीमति मीना देवी विकास खण्ड वीरोंखाल जिन्हें लेखापरीक्षा तिथी तक मात्र रु. 18750/- (रु. 75000/- में से) ही भुगतान किए गए थे, के आवास के संबंध में बताया गया कि वि. ख. अ. द्वारा मौखिक रुप से निर्माण कार्य पूर्ण होने के संबंध मे बताया है जबकि भुगतान हेतु मांग प्रस्तुत नहीं किया है मांग प्रस्तुत करने पर शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मौखिक रुप से सूचित करना कोई जबाबदेही नहीं होती है जबकि लेखा-परीक्षा मे पूछे गये बिन्दुओं का जबाब न देना भी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ना जैसे हैं।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
40/2006-07	01	1,2(क),2(ख) व 3
103/2013-14	01	1,2,3 व 4
186/2015-16	शून्य	1,2,3,4 व 5

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला विकास अधिकारी पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (i)
   (ii) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
   (ii)
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वेद प्रकाश (पिछली लेखा परीक्षा से अब तक)	जिला विकास अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला विकास अधिकारी पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सीधे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय